FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** STATE VIGILANCE AND **P.S.(थाना):** LAHAUL & SPITI **Year(वर्ष):** 2022
FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0001 **Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):** 07/05/2022 04:06 PM

2.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	IPC 1860	420
2	IPC 1860	120-B
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)

3. **(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
1. **Day(दिन):** Intervening Day **Date From(दिनांक से):** 31/03/2017 **Date To(दिनांक तक):** 07/12/2018
Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 12:00 AM **Time To (समय तक):** 12:00 AM
(b) Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date(दिनांक): 07/05/2022 **Time (समय):** 03:26 PM
(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): **Entry No.(प्रविष्टि सं.):** 005 **Time (समय):** 07/05/2022 03:26 PM

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
1. **(a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-WEST, 82 Km **Beat No(बीट सं.) :**
(b) Address(पता): Bhujund , Udaipur
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S(थाना का नाम): **District(State)(ज़िला(राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
(a) Name(नाम): Ajay Kumar
(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): 30/12/1981 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA
(e) UID No (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	VILLAGE-SVACB Kullu, PS-KULLU, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	**Permanent Address**	VILLAGE-Goshal, TEHSIL-keylong, PS:KEYLONG, DISTRICT-LAHAUL & SPITI, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): **Mobile (मोबाइल न.):**91-9418776691

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थाई पता)
1	Ashwani		VILLAGE-Hat PO Bajaura,TEHSIL-Bhunter ,PS-BHUNTAR,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA	VILLAGE-Hat PO Bajaura,TEHSIL-Bhunter ,PS-BHUNTAR,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Amar Chand		VILLAGE-VPO Salgran,TEHSIL-sub TEh Udaipur ,PS-UDAIPUR,DISTRICT-LAHAUL & SPITI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-VPO Salgran,TEHSIL-sub TEh Udaipur ,PS-UDAIPUR,DISTRICT-LAHAUL & SPITI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
3	Inder Negi		VILLAGE-Kais PO Seobagh ,TEHSIL-Kullu ,PS-SADAR KULLU,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA	VILLAGE-Kais PO Seobagh ,TEHSIL-Kullu ,PS-SADAR KULLU,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ती के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण न॰, यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

इस समय दर्ज है कि SIR no 01/19 local (KLG) 2643 Dated 30.03.2019 मे एक अदद self contained note लिखित DySp Ajay Kumar के द्वारा मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रस्तुत किया गया है जो self contained note निम्न प्रकार से है "To MHC PS SV&ACB Keylong Distt L&S. यह शिकायत पत्र पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्र. रो. ब्यूरो मध्य खण्ड मण्डी के पत्र संख्या R-SV&ACB/CR/MNDI SIR NO.01/19 (LOCAL KLG)-2643 Dated 30-03-2019 के माध्यम से गोपनीय जांच हेतु प्राप्त हुई थी जिसमें गोपनीय जांच करने के उपरान्त अन्तिम जांच रिपोर्ट मुताबिक कार्यालय पुलिस अधीक्षक मण्डी मध्यखण्ड के पत्र पृष्ठांकन संख्या 6335 दिनांक 30-09 2019 के नियमित जांच के अनुमोदन हेतु ब्युरो मुख्यालय को प्रेषित की गई थी। जिस पर नियमित जांच मुताबिक पत्र संख्या SV&ACB(R/CR-HQ) SIR NO. 01/19(Local KLG) -21969 दिनांक 18-11-2019 के ब्युरो मुख्यालय से परमिशन सहित नियमित जांच हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुई थी। जाँच पूर्ण करने के उपरांत जांच रिपार्ट ब्यूरो मुख्यालय से राज्य सरकार को धारा 17A भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त करने हेतू प्रेषित की गई थी। विशेष सचिव (सतर्कता) हि.प्र. सरकार द्वारा मुताविक पत्र संख्या Horne (Vig.) -A(5)-09/2022-Fts-5226 दिनांक 20-04-22 के अभियोग पंजीकृत करने की स्वीकृति ब्यूरो मुख्यालय के मार्फत प्राप्त हुई है। शिकायत पत्र में वर्णित आरोप :- "भुजुंण्ड में बन रहा फोरेस्ट रेस्ट हाउस कागजों में बन कर तैयार है पर मौका पर एक भी पत्थर ना लगा है"- की जांच की गई है जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है:- शिकायतपत्र की जांच के दौरान वन विभाग से रेस्ट हाउस के निर्माण से सम्बन्धित दस्तावेज, स्वीकृत धनराशी खर्च से सम्बन्धित ब्यौरा मांगा गया। जांच पर पाया गया कि निरीक्षण हट भुजुंड के निर्माण हेतु प्रशासनिक, वितिय व तकनीकी स्वीकृति तत्कालिन D.F.O Lahaul के कार्यालय आदेश संख्या 137/14-15 दि0 9-2-2015 के अन्तर्गत बजट सब हैड 4406 पुंजी लागत के तहत हुई है व वार्षिक रूप से अलग-2 धनराशी प्राप्त हुई है जिसके मुताबिक वर्ष 2013-14 में 10,000/- रुपये, वर्ष 2015-16 मे 2,30,000/ रुपये, वर्ष 2016-17 में 1,40,000/- रुपये तथा वर्ष 2017-18 में 11,00000 रुपये जो कुल 14,80,000/- रुपये निरिक्षण हट भुजुंङ के निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र तिन्दी को प्राप्त हुए हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी तिन्दी ने मुताबिक पत्र संख्या 96/T Dtd. 15-12-2020 दवारा बताया गया कि वर्ष 2018 तक यह प्राप्त राशी 14,80,000/- रुपये निर्माण कार्य में खर्च की गई है तथा निरीक्षण हट का कार्य DPC Level तक किया गया है तथा इसके अतिरिक्त इस व्यय धनराशी में ही कुछ सामान खरीद करना बताया गया है। जांच के दौरान निर्माणाधीन भुजुंड रेस्ट हाउस के एस्टीमैट मैटेरियल कन्सम्पशन एस्टीमैट, केश बुक MB's व Forest Guard, B.O.,R.O द्वारा प्रमाणित बिलों की प्रति प्राप्त की व उपरोक्त सभी दस्तावेजों का अध्ययन करने पर पाया गया कि एस्टीमेट में जो कार्य क्रम संख्या 4 के तहत laying of DPC तक दर्शाया गया है उतना ही कार्य मौके पर वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक किया गया है व उसी अनुपात मे रेत, बजरी, पत्थर व सिमेंट का उपयोग किया गया है व इसी प्रकार उपरोक्त कार्य को करने के लिये प्रयोग हुए रेत, बजरी, पत्थर व सिमेंट व निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की दिहाड़ी इत्यादि का खर्च बिल MB बना कर लाभार्थीयों को प्रदान किया गया है व 2013-14 से 2017 तक 780000/- (सात लाख अस्सी हजार रुपये) उपरोक्त कार्य के लिए खर्च किए गये है । इसके अतिरिक्त वन विभाग लाहुल से

प्राप्त कैश बुक MB's Forest Guard, B.0., R.O दवारा प्रमाणित बिलों की प्रतियों के अध्ययन से पाया गया कि वर्ष 2017-18 में वन परिक्षेत्र तिन्दी के भुजुंड क्षेत्र में कार्यरत रहे फोरेस्ट गार्ड, बी० ओ० व रेंज वन अधिकारी द्वारा साजिश व आपसी मिलि भगत से रेत व पत्थर को निकालने व डुलान करने के जाली MB व बिल तैयार किया व कैश वुक मे दर्ज किया है व सरकारी राशी को हड़प लिया है । जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:- 1. MB no 4/2011-12 page no-26 (Cr.Vr. no. 11/T of 3/2018) 107+50 CUM (cubic meter) पत्थर निकालने व ढुलान का खर्च =Rs.1,44,900/- 2.MB no 4/2011-12 page no. 26 (Cr .Vr. no12/T of 3/2018). 57 Cubic Meter पत्थर ढुलान का खर्च =1,41,900/-.3. M.B no 4/2011-12 page no 27 (Cr. Vr. no. 13/T of 3/2018) 22.80 Cubic Meter रेत निकालने व ढुलान का खर्च 121000/-4.व 200 वैग सिमेंट H.P Agro industries Corp Ltd. Kullu से खरीद(Cr.Vr. no. 14/Tof 3/2018) Rs. = 79000/ खरीद करके भुगतान किया है परन्तु ना ही यह सिमेंट निर्माण में प्रयोग हुआ है ना ही यह सिमेंट वहां मौजुद है। उपरोक्त सभी क्रम न० 1 से 4 में वर्णित रेत पत्थर व सिमेंट मौका पर मौजूद ना पाए गए थे जो उपरोक्त सभी वस्तुओं के झूठे बिल तैयार करके तत्कालिन फोरेस्ट गार्ड, बी० ओ० व रेंज वन अधिकारी द्वारा रु0 486800/- (चार लाख छयासी हजार आठ सौ रुपये) का गवन किया गया है। जो इस प्रकार वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा निरक्षण हट भुजुंड के लिए स्वीकृत धनराशी का गवन किया है। जिन्होंने रेत पत्थर के निकालने, तोडने व दुलान करने के लिए मुबलिंग 486800/ रुपये के बिल तैयार करके यह राशी मजदूरों को देना जाहिर करी है तथा इसके अतिरिक्त 200 बैग सिमेंट के खरीद करना बताए है। जबकि 200 बैग सिमेंट जोकि कुल्लू के हि.प्र. एग्रो इन्ड्स्टीज़ से खरीद करना पाए गए है के कुल्लू से रोड साईड भुजुंड तक के केरेज व रोड साईड भुजुंड से मौका निर्माणाधिन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भुजुंड तक दुलान (मजदूरो द्वारा उठा कर) ले जाने के बारे में कुछ भी रिकार्ड में उपलब्ध ना है। जिससे स्पष्ट है कि 200 बैग सिमेंट का भी गवन उपरोक्त वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया गया है । इस के अतिरिक्त जांच के दौरान मौका भुजुंड रेस्ट हाउस के किए गए कार्य का कार्य मुल्यांकन PWD विभाग द्वारा करवाया गया मुल्यांकन करवाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता हि.प्र.लो.नि.वि. केलांग को पत्राचार किया गया जो हि.प्र.लोनिवि केलांग के कनिष्ठ अभियन्ता जोग चन्द्र राणा द्वारा फारेस्ट विभाग के अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों तथा विजिलेंस टीम की मौजूदगी में मौका पर किए गए कार्य का मुल्यांकन किया। विजिलेंस टीम द्वारा भुजुंड रैस्ट हाउस के कार्य निरीक्षण व मौका के फोटोग्राफ्स मौका लिए गए हैं। मुताबिक मुल्याकन रिपोर्ट के मौका पर किया गया काम 4,41,706/- रुपयों का करवाया जाना पाया गया है। परन्तु इस मुल्यांकन पर PWD विभाग दवारा गाड़ी द्वारा ढुलान व मजदुरों द्वारा ढुलान का खर्च ना जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त वन मण्डल अधिकारी लाहुल से वन परिक्षेत्र तिन्दी (भुजुंड) में कार्यरत रहे Forest Guard,. BO,RO का ब्यौरा प्राप्त किया गया कि इस क्षेत्र में बर्ष 2017-18 में Forest Guard अशवनी वर्तमान तैनाती बन परिक्षेत्र पट्टन स्थाई पता गांव हाट डा0 बजौरा जिला कुल्लू । वन खण्ड अधिकारी (B.O) अमरचन्द वर्तमान तैनाती वन परिक्षेत्र तिन्दी स्थाई पता गांव व डा0 घर सलग्रा उप तहसील उदयपुर जिला लाहौल स्पिति । वन परिक्षेत्र अधिकारी (R.O) इन्द नेगी सेवानिवृत 30-08-2019 स्थाई पता गांव काईस डा0 सेऊबाग जिला कुल्लू तैनात रहे है।उपरोक्त B.O. R.O को शामिल जांच करके पूछताछ की गई है । जिन्हौने तस्दीक की है कि क्रम संख्या 1 से 4 में वर्णित कैश बुक, MB ब बिल इनके द्वारा तैयार की गई है। जांच के दौरान वर्ष 2016-17 में भुजुंड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का काम शुरू करने वाले Range officer हेम राज का ब्यान लिया गया है जिसने बताया कि यह वर्ष 2014 से 2017 तक तिन्दी रेंज आफिसर के पद पर कार्यरत रहा है जिस समयावधी में 3,80,000/- रुपये भुजुंड रेस्ट हाउस के निर्माण हेतु स्वीकृत हुई थी। जिस पर वन रक्षक ललित , BO शिव कुमार ने मस्ट्रोल के आधार पर कार्य करवाया था इन अधिकारियों के द्वारा करवाये गए कार्य के बिल मस्ट्रोल आदि का रिकार्ड इसके दवारा मार्च 2017 तक वैरिफाई किया है जिसने मौका का इन्सपेशन भी किया था व इन्सपेक्शन करने पर इन कार्यो में जगह का समतल करना, रेत बजरी सिमेंट, पत्थर का तुडान व ढुलान आदि शामिल है जो मौका पर सही पाए गए थे। हेम राज उपरोक्त द्वारा रेस्ट हाऊस के निर्माण हेतू 3,70,000/- का कार्य करना बतलाया गया है जिस कार्य के बिल सही पाए गए हैं। Range officer हेम राज के बाद कार्यरत रहे R.O ओम प्रकाश द्वारा रु0 589259/- का कार्य मौका पर करवाया गया है जिनके बिल, MB इत्यादि सही पाए गए हैं । मौका भुजुंड का वर्तमान में निरीक्षण करने पर भी यही कार्य मौका पर किया जाना पाया गया है व जांच पर मौका के फोटोग्राफ भी लिए गए हैं जो सलग्न है मौका पर इसके अतिरिक्त कोई अन्य निर्माण कार्य न होना पाया गया है। दौराने जांच वन विभाग द्वारा जारी सूचना पत्र संख्या 96/T दिनांक 15-12-2020 के आधार पर कुछ मटिरियल मौका पर खरीद किए जाने के बारे में भी लिखा गया था जिसके बारे में भी मौकर पर तस्दीक करी गई तो वन विभाग द्वारा कुछ सामान जिसमे के छत पर लगाई जाने वाली चदरें(डियुराशीट) व लकड़ी के लाग मौका फौरेस्ट नर्सरी तिन्दी में रखे जाने पाए गए है जो यह चदरे (डियुराशीट) कुल्लू के हि.प्र.ऐग्रो इन्डस्ट्रीज से खरीद करना पायी गई है जिनका मुल्य 1.71.206/-रुपये व इसके ढुलान हेतु 18,000/- रुपये दिए गए है तथा इसके अतिरिक्त वरामदा लकड़ी देवदार जो कि रोहली कारकून से लाई गई थी के पछानकर व गाड़ी कैरेज के लिए 24870/-रुपये के विल तैयार करके उक्त राशी दी जानी पायी गई है। इसके अतिरिक्त मौका पर कोई भी रेत, पत्थर, सिमेंट न पाये गये है ।जांच के दौरान इन्द्र सिंह रेंज ऑफिसर पर लगाये गए आरोप पर भी गहन जाच की गई तो पाया गया कि इन्द्र सिंह के दवारा कुल 5 बिल अपने कार्यकाल में भुजुंड रैस्ट हाऊस से सम्बन्धित बैरिफाई किये गये है । जिनमें मौका पर केबल लकडी देवदार सही पायी गई है परन्तु ईन्द्र सिंह द्वारा जो वाकि बिल वैरीफाई किए गए है वो बिल झूठे तैयार किए गए है। मौका पर न ही रेत, पत्थर व सिमेंट रखा जाना पाया गया है। निरीक्षण के दौरान मौका पर किया गया कार्य DPC Level तक किया जाना पाया गया है। इस धन राशी का विभाग के अधिकारीयों व कर्मचारीयों के द्वारा सही प्रयोग न किया जाना पाया गया है व सरकार को करीब 486800/- रुपयों की अनुचित

हानि कारित की गई है। फारेस्ट गार्ड अमर चन्द दवारा बतौर वी.ओ. तिन्दी रहते हुए वन रक्षक अशवनी व वन परिक्षेत्र अधिकारी तिन्दी इन्द्र सिंह से मिली भगत करके करीब 486800/- रुपयों का झूठे बिल तैयार करने पाये गए है उपरोक्त अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों ने कोई भी सामान भुजुंड रैस्ट हाउस निर्माण के लिए एकत्र करना न पाया गया है। जबकि उपरोक्त आरोपीगणो अमर चन्द, अशवनी, इन्द्र सिंह ने आपसी मिली भगत करके रू0 486800/- का अनुचित लाभ प्राप्त किया व सरकार को अनुचित हानि कारित की है । शिकायत पत्र की जाँच पर उपरोक्त वर्णित तीनो कर्मचारियों के विरुद जुर्म जेर धारा 420, 120 (b) IPC&13 (2) PC ACT का होना पाया जा रहा है । जो उपरोक्त तीनो कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 420,120(b)IPC&13 (2)PC ACT में अभियोग पंजिकृत करने की पूर्व स्वीकृति Additional Chief Secretary (Forest) to the Government of Himachal Pradesh से मुताबिक पत्र संख्या FFE A (B) 14-3/2022 Dtd. 06-04-2022 U/S 17-A Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 के तहत प्राप्त हो चुकी है। अतः उपरोक्त तीनो कर्मचारियो के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने की कृपा करें ।Sd/- Ajay kumar (English) अजय कुमार (HPS) PS SV&ACB Kullu Additional Charge PS SV &ACB Keylong 07.05.2022. कार्यवाही पुलिस - उपरोक्त आमद self contained note को शव्द व शव्द लिखा गया । मजवुन self contained note से जुर्म U/S 420,120(B) IPC व 13(2) Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 का वकूह मे आना पाया जा रहा है जिस पर मुकदमा U/S 420,120(B) IPC व 13(2) Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 वर खिलाफ फारेस्ट गार्ड अमर चन्द वतौर वी.ओ. तिन्दी , वन रक्षक अशवनी व वन परिक्षेत्र अधिकारी तिन्दी इन्द्र सिंह के दर्ज थाना किया गया । जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की आवश्यक प्रतियां वज़रिया प्रिंटर के माध्यम निकाली जा रही है अभियोग वारा उच्च अफसरानवाला को वजरिया दुरभाष द्वारा वतलाया जा रहा है । वकूह का इन्दराज़ मुतलका रजिस्टर हस्व जाफ्ता किया जा रहा है ।मुकदमा विशेष नोईयत का है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट को ही विशेष रिपोर्ट समझा जाये । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति को विशेष संदेश वाहक आ0 वंसी राम द्वारा Ld Special Court Kullu and L&S at Kullu, को प्रेषित की जा रही है । मिस्ल मुकदमा तैयार करके व आदेश उप पुलिस अधीक्षक तफतीश हेतू निरिक्षक अशोक कुमार के हवाले की जा रही है।

13. **Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है |):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का नाम): Ashok Kumar **Rank (पद):** INSP. (Inspector)
No(सं.): NA **to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)**

(3) Refused investigation due to(जांच के लिए):
or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. **District(ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Ajay Kumar
Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)
No(सं.): NA

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				
2	Male	1982				
3	Male	1962				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)